राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप- 6)विभाग

क्रमांकः–प.6 (26)राजस्व–6/2014/3 जयपुर, दिनांकः– 30/4/2015

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– भूमि अधिकतम सीमा से छूट एवं किसी विहित अकृषि भूमि के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के आधिक्य में भूमि अर्जन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उद्योग (ग्रुप–1)विभाग की अधिसूचनां दिनांक 22.01.2015 द्वारा राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 में संशोधन कर अनुसूची–1 के क्रम संख्या 2 (ग) व (घ) द्वारा भूमि अधिकतम सीमा के छूट एवं किसी विहित अकृषि भूमि के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के आधिक्य में भूमि अर्जन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की समय सीमा (कार्य दिवस के भीतर) 60 दिवस निर्धारित की गई है।

अतः अधिसूचनां दिनांक 22.01.2015 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचनां के प्रावधानुसार भूमि अधिकतम सीमा में छूट एवं किसी विहित अकृषि भूमि के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के आधिक्य में भूमि अर्जन के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को अधिकतम् 15 कार्यदिवस में अपनी अनुशंषा/टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य सरकार के स्तर से उपरोक्तानुसार समय सीमा में प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवंश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, राजस्व सचिव।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
6. निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।

संयुक्त शासन सचिव